संख्या-204/2022/1482/001-1482-23-10-22-07-सेतु-2022टीसी

प्रेषक,

प्रभुनाथ
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियंता (विकास) एवं विभागाध्य ,
लोक निर्माण विभाग,
उ0प्र0 लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-10 **लखनऊ: दिनांक 27 दिसम्बर, 2022**

विषयः- वित्तीय वर्ष 2022-2023 में राज्य योजना (सामान्य) के अंतर्गत विभिन्न जनपदों के 04 लघु सेतुओं के निर्माण कार्य हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के संबंध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कार्यालय प्रमुख अभियन्ता (सेतु विंग) उ0प्र0 लो0नि0वि0, लखनऊ के निम्नांकित पत्रों का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें : -

क्रम सं0	पत्र संख्या एवं दिनांक
1	789/नदी सेतु/मध्य क्षेत्र/ बी0एम0सी0/2022 दिनांक 07.12.2022
2	1743/नदी सेतु/गोरखपुर क्षेत्र/ सेतु-3/2022 दिनांक 07.12.2022
3	1742/नदी सेतु/ गोरखपुर क्षेत्र/ सेतु-3/2022 दिनांक 07.12.2022
4	790/नदी सेतु/मध्य क्षेत्र/ बी0एम0सी0/2022 दिनांक 07.12.2022

2- उक्त के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विभिन्न जनपदों के 04 लघु सेतुओं का निर्माण कार्य कराये जाने हेतु निम्न विवरणानुसार कुल लागत रू0 1132.46 लाख (रूपये ग्यारह करोड़ बत्तीस लाख छियालीस हजार मात्र) के सापेक्ष कुल रू0 566.22 लाख (रूपये पॉच करोड़ छियासठ लाख बाइस हजार मात्र) की धनराशि चालू वित्तीय वर्ष 2022-2023 में श्री राज्यपाल निम्न विवरणानुसार तथा निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अवमुक्त किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

(धनराशि लाख रू0 में)

क्र0सं0	जनपद	कार्य का नाम	लागत (लाख रू0 में)	वित्तीय वर्ष 2022-23 में प्रस्तावित आवंटन फांट			कार्यदायी संस्था
				अनु0-57	अनु0-83	कुल योग (8+9)	
1	2	3	5	7	8	9	10
1	हरदोई	जनपद हरदोई में पेड़थिया से सेमरा एवं साण्डी –शाहाबाद से संगैचामऊ मार्ग के मध्य बरसाती नाले पर 3X3 मी0 स्पान के आर0सी0सी0 लघु सेतु, पहुँच मार्ग एवं अतिरिक्त पहुंच मार्ग के निर्माण कार्य	239.75	94.45	25.42	119.87	लो0नि0वि0
2	महराजगंज	जनपद महराजगंज में मौन नाले के बगहवा बाबा स्थान पर 4X5 मी0 स्पान के लघु सेतु , पहुंच मार्ग अतिरिक्त पहुँच मार्ग एवं सुरक्षात्मक कार्य के निर्माण कार्य	399.64	157.44	42.38	199.82	लो0नि0वि0
3	देवरिया	जनपद देवरिया में मथुरा छापर एवं मुण्डेरा मिश्र के मध्य दोहरी नाले पर 2X6 मी0 स्पान के लघु सेतु, पहुंच मार्ग एवं अतिरिक्त पहुंच मार्ग के निर्माण कार्य	262.52	103.42	27.84	131.26	लो0नि0वि0
4	रायबरेली	जनपद रायबरेली में सूची नायन डीह मार्ग से तरकोलवा मार्ग पर 5 X5 मी0 स्पान के लघु सेतु, पहुंच मार्ग एवं अतिरिक्त पहुँच मार्ग के निर्माण कार्य	230.55	90.82	24.45	115.27	लो0नि0वि0
		योग:-	**1132.46**	**446.13**	**120.09**	**566.22**	

नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों

(1) प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी

स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(2) कार्य की विशिष्टियां, मानक एवं गुणवत्ता की जिम्मेदारी प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग/ कार्यदायी संस्था की होगी। प्रायोजना का निर्माण कार्य ससमय पूर्ण कराना सुनिश्चित किया जाय।

(3) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा ।

(4) स्वीकृत धनराशि कार्य की आवश्यकतानुसार आहरित की जायेगी तथा आहरित धनराशि बैंक/ डाकघर में नहीं रखी जायेगी। प्रश्नगत स्वीकृति जिस कार्य/मद के लिये है, उसी कार्य/मद पर व्यय प्रत्येक दशा में किया जायेगा।

(5) स्वीकृत किये जा रहे इस कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है ।

(6) अधिष्ठान व्यय/सेन्टेज चार्ज की धनराशि समय-समय पर स्वीकृत/आवंटित की जा रही धनराशि के सापेक्ष ही जमा की जायेगी। निर्माण कार्य की अवशेष लागत पर अधिष्ठान व्यय की धनराशि वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश सं0-ए0-2-23/ दस-2011-17(4)/75 दि0 25.01.2011 के साथ पठित शासनादेश सं0-ए0-2-1606/दस-2014-17(4)/75 दि0 11 नवम्बर, 2014 द्वारा जारी विस्तृत दिशा निर्देशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी तथा उक्त शासनादेश दिनांक 25.01.2011 के संलग्नक में प्रदर्शित सम्बन्धित विभाग के प्राप्ति लेखाशीर्ष में ट्रान्सफर इन्ट्री द्वारा क्रेडिट किया जायेगा। लेखाशीर्षक "1054-सड़क तथा सेतु-800-अन्य प्राप्तियां-01-प्रतिशतता प्रभारों की वसूली" में जमा की जायेगी ।

(7) लेबर सेस की धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

(8) मूल्य ह्रास निधि की धनराशि सुसंगत लेखाशीर्षक मे जमा करायी जायेगी ।

(9) आगणन में सम्मिलित जी0एस0टी0 की धनराशि वास्तविक रूप से जितनी देय होगी उतनी ही भुगतान की जायेगी। प्रस्तावित आगणन उक्त सीमा तक संशोधित समझा जायेगा ।

(10) नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लीयररेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करने का उत्तरदायित्व विभागाध्यक्ष/कार्यदायी संस्था का होगा।

(11) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति के पूर्व विभागाध्यक्ष द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अंतर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम से आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(12) विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0 द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि आगणन में किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिये क्षेत्रीय अधिकारी/क्षेत्रीय मुख्य अभियंता उत्तरदायी होंगे।

(14) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की मात्राओं को यथावत मानते हुये मात्र दरों के आधार पर परीक्षण किया गया है। मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था/विभागाध्यक्ष का होगा।

(15) विभागाध्याक्ष, लो0नि0वि0 द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि आगणन में किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिये क्षेत्रीय अधिकारी/क्षेत्रीय मुख्य अभियंता उत्तरदायी होंगे।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय (*1*) रुपये 4,46,13,000 (रुपये चार करोड़ छियालीस लाख तेरह हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 20222023 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 057 लेखा शीर्षक 5054041010403 ग्रामीण सेतुओं का निर्माण मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य (*2*) रुपये 1,20,09,000 (रुपये एक करोड़ बीस लाख नौ हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 20222023 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 083 लेखा शीर्षक 5054047892000 ग्रामीण सेतुओं का निर्माण कार्य मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या E-8-354-X-2022-23-दिनांक:16-12-2022 मे प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(प्रभुनाथ)
विशेष सचिव।

संख्या -204/2022/1482 /001-1482-23-10-22-07-सेतु-2022टीसी-तददिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

1-महालेखाकार, प्रथम (निर्माण), उ0प्र0, प्रयागराज ।
2-संबंधित मण्डलायुक्त/ जिलाधिकारी ।
3-निजी सचिव, मा0 मंत्री, लोक निर्माण विभाग ।
4-संबंधित मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग ।
5-मुख्य अभियन्ता (सेतु) लोक निर्माण विभाग, लखनऊ ।
6-वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ ।
7-वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-8 ।
8-समाज कल्याण (बजट प्रकोष्ठ)/राज्य योजना आयोग अनुभाग-1/2 ।
9-बजट आवंटन अधिकारी, लो0नि0वि0, उ0प्र0 शासन/ गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(प्रभुनाथ)
विशेष सचिव।